मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-7/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009, न्यायिक सेवा पुनरीक्षण नियम एवं यू.जी.सी. वेतनमान नियम 2010 के अंतर्गत वेतन निर्धारण अनुमोदन पश्चात अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में ।

--***--

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009, न्यायिक सेवा पुनरीक्षण नियम एवं यू.जी.सी. वेतनमान नियम 2010 के अंतर्गत वेतन निर्धारण की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन तथा विभागों में पदस्थ वित्त सेवा के उपसंचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों से कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ उपर्युक्त अनुसार वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिक एवं अनियमित भुगतान के प्रकरण भी प्रकाश में आ रहे हैं । अनुभव यह रहा है कि अधिक एवं अनियमित भुगतानों की स्थिति प्रकाश में आने के उपरान्त भी विभागों द्वारा वेतन निर्धारणों के नियमन में अपेक्षा अनुसार रूचि नहीं ली जाती है । परिणामतः अधिक व अनियमित भुगतान निरन्तरता में होते रहते हैं एवं सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त स्वत्वों आदि के निराकरण में न केवल कठिनाई आती है अपितु संबंधित शासकीय सेवक पर भी आर्थिक दवाब बन जाता है ।

3/ अतः जिन वेतन निर्धारण प्रकरणों में जांच उपरान्त वसूली निर्मित हुई है उनमें अनुमोदन अनुसार वेतन नियमन तथा वसूली से संबंधित कार्यवाही कार्यालय प्रमुख तत्काल करेंगे ।

4/ वेतन निर्धारण प्रकरण की जांच करने वाले अधिकृत प्राधिकारियों का यह दायित्व होगा कि जिन प्रकरणों में अधिक एवं अनियमित भुगतान की स्थिति प्रकाश में आती है उनकी स्वयंपूर्ण सूची बनाकर आयुक्त, कोष एवं लेखा को प्रतिमाह अग्रेषित करें । आयुक्त कोष एवं लेखा यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे शासकीय सेवकों के आगामी माह के वेतन का आहरण तभी संभव हो जब उपर्युक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान के नियमन के लिये संबंधित विभाग द्वारा यथा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

113*Rule/sunita*/paripat/113/

9/15/2010

पृष्ठा.क्रमांक : एफ -9-7/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग